न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 02/2019

प्रविष्टि दिनांक — 17.10.2019

जरिये मुनेश कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
— प्रार्थी

बनाम

मै0 रामेश्वर स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार टोंक
— अप्रार्थी

जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस,एक रबर पाईप मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेराकार सरकार —प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 22.09.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देश की पालना में दिनांक 14.10.2019 को समय 4.16 PM पर प्रवर्तन अधिकारी, बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक पॉचबत्ती नगर पालिका क्षेत्र टोंक में स्थित मैसर्स रामेश्वर स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार टोंक पर आकस्मिक लगी आग की सूचना के सम्बन्ध में मौके पर पहुंचे। मौके पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानक भार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था।मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से प्रयोग करने के कारण उक्त चारों सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस0 आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	391809T	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	16.1	22.4	6.3
02	775629S	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	15.6	17.7	2.1
03	31049	इण्डेन गैस (IOC)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.6
04	772120	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	16.7	18.1	1.4
					योग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

उक्त सिलेण्डरो को अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर मिठाई / नमकीन बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है । व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है।उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि जिला रसद अधिकारी टोंक के निर्देश की पालना में दिनांक 14.10.2019 को समय 4.16 PM पर प्रवर्तन अधिकारी,बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक के साथ पॉचबत्ती नगर पालिका क्षेत्र टोंक में स्थित मैसर्स रामेश्वर स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार टोंक पर आकस्मिक लगी आग की सूचना के सम्बन्ध में मौके पर पहुंच कर जांच किये जाने पर मौके पर श्री सुरज साहू उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को मैसर्स रामेश्वर स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार टोंक का प्रोपराईटर बताया। श्री सुरज साहू से आग की घटना की जानकारी ली गई उन्होने बताया कि मिठाई के गौदाम में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई थी जिसे हमारे कर्मचारियों द्वारा तत्परता से नियंत्रण कर बुझा दिया गया था।मौके पर किसी प्रकार की अनहोनी घटना घटित नहीं हुई। मौके पर व्यवसाय स्थल की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई / नमकीन बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 4 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रबर पाईप,रेगुलेटर के माध्यम से लोहे की भट्टी मय नोजल में जोडकर अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईंधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त चारों सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त किया गया। व्यवसायी द्वारा एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 16.4 KG एलपीजी गैस रबर पाईप ,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सम्भालकर रखने हेतु टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री सनी महावर पुत्र श्री जगदीश महावर को की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्त कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । अतः उक्त जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 16.4 KG एलपीजी गैस पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत गंभीर अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 14.10.2019 के अनुसार मैसर्स रामेश्वर स्वीट्स एण्ड नमकीन भण्डार टोंक पर आकस्मिक लगी आग की सूचना के सम्बन्ध में मौके पर पहुंचे कर जांच/निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 4 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस. आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का तौलने पर वजन	शुद्ध गैस
01.	391809T	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	16.1	22.4	6.3
02	775629S	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	15.6	17.7	2.1
03	31049	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	17.1	23.7	6.6
04	772120	इण्डेन गैस (IOC)	14.2	16.7	1801	1.4
					योग	16.4 KG

जांच करने पर जांच दल द्वारा मकान/गोदाम मे मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सूरजमल तथा सनी महावी के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सन्नी महावीर,सूरजमल तथा कैलाश चन्द के हस्ताक्षर है तथा स्वतंत्र गवाह रामबाबू व राजेश के हस्ताक्षर है। टोंक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि सनी महावर को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई/नमकीन बनाने में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 4 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 16.4 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर,टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested